

प्रेषक

राजीव कुमार
मुख्य सचिव
उत्तरप्रदेश शासन।

सेवामें

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगरविकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक : 08 फरवरी, 2018

विषय : प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1485/नौ-9-2012-161ज/12 दिनांक 15 अक्टूबर 2012 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-286/नौ-9-2014-161 ज/12 दिनांक 11 मार्च 2014 तथा भारतीय तार अधिनियम-1885 को विनियमित करने हेतु संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 4जी ब्राण्ड बैंड वायरलाइन/वायरलेस एक्सेस सर्विस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नगरीय निकायों की भूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर/डक्ट डालने अथवा भूमि से ऊपर ओवरहेड केबलिंग के लिए स्थल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 में धारा 128/129 एवं उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 124 में सम्पत्ति अंतरण विषयक प्राविधान एवं इन्फोटेक ब्राण्डबैंड सर्विसेज लि० द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं के दृष्टिगत एच०डी०डी० विधि से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, ग्राउण्डबेस्ड मास्ट स्थापित करने तथा ओवरहेड वायर के लिये पोल लगाने के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.10.2012 एवं 11.03.2014 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4. सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसी निजी संस्थाओं को जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाना चाहती हैं अधिकतम सुविधायें प्रदान किये जाने तथा ऐसी निजी संस्थाओं को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने व उनका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने एवं उसका अनुरक्षण करने की अनुमति) अधिनियम- 2001 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी लाइसेन्स धारी को किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर

1.5
Upload m(u)

218

19.2.18

(देवेन्द्र शाह)

अधिशायी अभियन्ता

साथ-साथ, आर-पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने की शक्तिप्रदान की गई है। अधिनियम की धारा-5 (2) से राज्य सरकार को ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे विहित निबन्धनों और शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर सकने की व्यवस्था है।


5 अतः प्रदेश की नागर निकायों की सीमान्तर्गत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउण्ड बेस्ट मास्ट (जी0बी0एम0) स्थापित करने तथा ओवरहेड वायर के लिये पोल लगाने के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या 1485/ नौ-9-2012-161 ज/12 दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 286/नौ-9-2014-161 ज/12 दिनांक 11 मार्च 2014 के क्रम में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016, द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को अंगीकृत करते हुये भूमिगत तार और संरचना की स्थापना और रखरखाव के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के निम्न नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

- (1) अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय-2 के नियम-5 के उपनियम-2 (ix) के अनुसार प्रत्येक लाइसेन्सी को भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु आवेदन करते समय पुनर्स्थापना कार्य स्वयं कराने का दायित्व होगा।
- (2) अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय-2 के नियम-5 के उपनियम-3 के अनुसार सम्बन्धित विभाग के समक्ष लाइसेन्सी कम्पनी ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु आवेदन के साथ प्रति कि0मी0 रू0 1000/- की धनराशि प्रशासनिक व्ययों हेतु जमा करेगी। इसके अतिरिक्त नियम-6 के उपनियम-4 के अनुसार अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- (3) अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय-2 के नियम-6 के उपनियम-3 के अनुसार सम्बन्धित विभाग, ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु कम्पनी को पुनर्स्थापना कार्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले व्यय के बराबर बैंक गारण्टी जमा करने हेतु मांग पत्र निर्गत करेगा, साथ ही इस अध्याय के नियम-8 के नियम-3 के अनुसार यदि विभाग द्वारा ऐसा पाया जाता है कि कम्पनी द्वारा जानबूझकर ओ0एफ0सी0 बिछाने की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो सम्बन्धित विभाग को उपरोक्त बैंक गारण्टी को पूर्ण अथवा कुछ हिस्से को प्रतिसंहरण (Revoke) कर लेने का अधिकार होगा।
- (4) अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय-3 के नियम-9 के उपनियम-3 के अनुसार "भूमि के ऊपर अवसंरचना" अर्थात् मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु कम्पनी को प्रति आवेदन के साथ रू0 10,000/- का प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा।
- (5) अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय-3 के नियम-10 के उपनियम-02 के अन्तर्गत यदि राज्य सरकार के किसी विभाग की सम्पत्ति पर मोबाइल टावर लगाने हेतु आवेदन करती है तो सम्बन्धित विभाग इस अनुमति हेतु आवंटित की गयी भूमि का किराया सम्बन्धित कम्पनी से वसूल कर पायगी एवं इस सम्बन्ध में विभाग को भूमि आवंटन हेतु दरें निर्धारित करनी होंगी।
- (6) अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय-2 के नियम-6 के उपनियम-02 तथा अध्याय-3 के नियम-10 के उपनियम-03 के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा

कमशः भूमिगत अवसंरचना एवं भूमि के ऊपर अवसंरचना हेतु किये गये आवेदनों के सम्बन्ध में 60 दिवसों में अनुमति निर्गत करनी होगी अथवा समुचित लिखित कारण बताते हुये अस्वीकृत करना होगा। 60 दिवसों के उपरान्त deemed अनुमति मानी जायेगी।

6. उक्त शर्तों सेवा प्रोवाइडर के लिये मान्य होंगी, जिनके लाइसेन्स को विहित सभी शर्तों के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।




(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ०प्र०शासन।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ
3. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
4. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०जल निगम, लखनऊ
6. महाप्रबन्धक, जल संस्थान/जल-कल विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तरप्रदेश।
(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०)
8. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्डफाइल

आज्ञा से



(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

9C